प्रकीर्ण वाद संख्या- २०९/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ४१७/२०१७)
केशव सिंह आदि बनाम देवेन्द्र कुमार आदि
२१.१२.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण केशव सिंह, श्रीमती सरोज राजा पत्नी केशव सिंह, छोटी राजा, अनुष्का राजा, तेपस्या राजा, डोली राजा, व छाया राजा द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹ १४,१९,३२३ न्यायाधिकरण में जमा की जा चुकी है। प्रार्थीगण उक्त धनराशि उठा पाने के अधिकारी है। याची श्रीमती सरोज पत्नी केशव सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उनके हिस्से की धनराशि उनके पति केशव सिंह को दिये जाने में प्रार्थीगण/याचीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि उक्त जमाशुदा धनराशि प्रार्थीगण के खाते में, जिनकी पास बुक की छाया प्रतियाँ प्रार्थीगण द्वारा दाखिल की गयी है, में भेजे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा की जाय। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थी केशव सिंह का शपथपत्र ४सी२, ५सी१ मृतक सरोज राजा (प्रार्थिया सं. २) के मृत्यु प्रमाणपत्र की छाया प्रति ५सी१ व अपने-अपने बैंक खाते की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को न्यायालय में सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं. ४१७/२०१७ केशव सिंह आदि बनाम देवेन्द्र कुमार आदि की पत्रावली, प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थी केशव सिंह ने अपने शपथपत्र ४सी२ में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया गया है कि उक्त जमा धनराशि के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा कोई अपील नहीं की गयी है न ही कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी केशव सिंह ने अपने शपथपत्र में यह भी कथन किया है कि उसकी पत्नी सरोज की मृत्यु हो गयी है। एम.ए.सी.पी. सं. ४१७/२०१७ में पारित निर्णय दिनाँकित ०१.१०.२०२० के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत प्रकरण में ₹ १२,००,९७६ मय ७.५ प्रतिशत ब्याज प्रार्थीगण/याचीगण को दिलाए जाने हेतु एवार्ड पारित किया गया है, जिसमें से प्रार्थीगण/याचीगण सं. १ लगायत ७ को क्रमशः ५, १५, ३०, २०, २०, ५ व ५ प्रतिशत भाग प्राप्त होनी है तथा याची सं. ४ व ५ की सम्पूर्ण धनराशि उनके वयस्क होने तक के लिए सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखे जाने हैं तथा याची सं. १ व २ के भाग की ७५ प्रतिशत धनराशि की एन्युटी ३ वर्ष के लिए व शेष याचीगण सं. ३, ६ व ७ के भाग की ७५ प्रतिशत धनराशि की एन्युटी ५ वर्ष के लिए बनाई जानी है एवं याची सं. १, २, ३, ६ व ७ की अपने-अपने भाग की २५ प्रतिशत धनराशि उन्हें नकद प्राप्त होनी है। कार्यालय आख्या के अनुसार याची के अधिवक्ता द्वारा बीमा कम्पनी का विवरण, जिस दस्तावेज से पेश किया गया है, उसके अनुसार बीमा कम्पनी द्वारा यू.टी.आर. नं. ५९०१०००९ से ग्रोस धनराशि ₹ १४,७३,९१०, टी.डी.एस. ₹ ५४,५८७, नेट ₹ १४,१९,३२३ जमा होने का इन्द्राज है, बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी लिखा गया है कि क्षतिपूर्ति की धनराशि पी.एन.बी. झोकनबाग में जमा की गई है। पत्रावली पर उक्त संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र १७सी१/१ व प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न भुगतान किये जाने से संबंधित विवरण १७सी१/२ भी दाखिल है। प्रार्थिया श्रीमती सरोज राजा के मृत्यु प्रमाणपत्र ५ सी१ के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया श्रीमती सरोज राजा की दिनाँक ०८.०४.२०२० को मृत्यु हो चुकी है, जिसका समर्थन प्रार्थी केशव सिंह ने अपने शपथपत्र में भी किया है। मृतका सरोज राजा के हिस्से की प्रतिकर की धनराशि उसके पति केशव सिंह प्रार्थी सं. १ को दिये जाने में शेष प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है, इस आशय का कथन प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र ३बी में भी किया है। अतः मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मृतका सरोज राजा के हिस्से की धनराशि उसके पति केशव सिह प्रार्थी/याची सं. १ को दिया जाना न्यायोचित होगा। कार्यालय आख्या के अनुसार बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिकर धनराशि में से ₹ ५४,५८७ टी.डी.एस. की धनराशि काटी गई है, जिस बिन्दु पर उभय पक्ष को सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का ३ बी प्रार्थनापत्र **आंशिक रूप** से विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि **₹ १४,१९,३२३** मय अब तक अर्जित ब्याज को न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय के प्रकाश में जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट उनके बैंक खाते में व जरिए एफ.डी.आर. व वर्णित एन्युटी स्कीम के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये जाने योग्य है। किन्तु विपक्षी सं. ३ यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कं.

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.04 12:27:49 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

लि. द्वारा जो टी.डी.एस. की ₹ ५४,५८७ की धनराशि काटी गई है, वह किस प्राविधान के आधार पर काटी गई है, उसके संबंध में उभय पक्ष को सुना जाना है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र **३ बी आंशिक रूप** से जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ **१४,१९,३२३** मय अब तक अर्जित ब्याज को न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय के प्रकाश में प्रार्थीगण को दिलाए जाने हेतु, स्वीकार किया जाता है। तदनुसार पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकन बाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं.४१७/२०१७ (प्रकीर्ण वाद सं. २०९/२०२० केशव सिंह आदि बनाम राजेन्द्र कुमार आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Keshav Singh	212898.45	15	Annuity of 3 Years	___	Any Nationalized Bank	____
1. Keshav Singh	70966.15	5	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010010794	Syndicate Bank Govind Chauraha Jhansi	SYNB0009235
3. Chhoti Raja	319347.68	22.50	Annuity of 5 Years	___	Any Nationalized Bank	____
3. Chhoti Raja	106449.22	7.50	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010010800	Syndicate Bank Govind Chauraha jhansi	SYNB0009235
4. Anushka Raja (Minor)	283864.60	20	FD carrying highest interest up to her Majority through guardian father Keshav Singh	___	Any Nationalized Bank	____
5. Tepshya Raja (Minor)	283864.60	20	FD carrying highest interest up to her Majority through father Keshav Singh	___	Any Nationalized Bank	____
6. Doli Raja	53224.61	3.75	Annuity of 5 Years	___	Any Nationalized Bank	____
6. Doli Raja	17741.54	1.25	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010010829	Syndicate Bank Govind Chauraha Jhansi	SYNB0009235
7. Chhaya Raja	53224.61	3.75	Annuity of 5 Years	___	Any Nationalized Bank	____
7. Chhaya Raja	17741.54	1.25	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010010814	Syndicate Bank Govind	SYNB0009235

					Chauraha Jhansi	
Total	1419323	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। विपक्षी सं.३ यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कं. लि. द्वारा प्रतिकर की धनराशि में से टी.डी.एस. की धनराशि ₹ ५४,५८७ किस प्राविधान के आधार पर काटी गई है, उसके संबंध में सुनवाई हेतु पत्रावली **दिनाँक ०६.०१.२०२१** को पेश हो। तदनुसार उभय पक्ष सूचित हों।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झांसी